

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दांडिक प्रकरण क०-459 / 15

संस्थापित दि० 07 / 08 / 2015

फाईलिंगनं.2335040032220015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,

आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

1. गंगाधर पिता श्यामराव धोटे, उम्र 56 वर्ष, (फरार)
2. श्यामराव पिता गनपत धोटे, उम्र 80 वर्ष
दोनों-जाति नौकरी / कृषि, नि०ग्राम लालावाड़ी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्तगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-25 / 10 / 2016 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा-324 / 34 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 05 / 07 / 16 सुबह पौने सात बजे ग्राम लालावाड़ी फरियादी का खेत, थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण ने फरियादी जीवन धोटे को दांत से काटकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- दिनांक 25 / 10 / 16 को फरियादी जीवन धोटे तथा अभियुक्तगण गंगाधर, श्यामराव का राजीनामा होने से धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग-2 में दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05 / 07 / 15 को सुबह पौने सात बजे उसके खेत में घास निकाल रहा था कि अचानक गंगाधर तथा उसके पिता श्यामराव खेत पर आये तथा उसे माँ बहन की गंदी-गंदी गाली देकर गंगाधर ने पकड़ लिया तथा लोचा लाची करने लगा, इतने में श्यामराव ने उसे पीठ पर बांधे तरफ दांत से काट लिया। वह किसी तरह से छूटा भागने लगा तो दोनों ने धमकी दिया कि दुबारा खेत में

दिखे तो जान से खतम कर देंगे। फिर वह घर पहुँचा पूरी बात उसकी पत्नी रंजना तथा भाई सुरेश को बताया।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र० पी०-1 है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 367/15 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा० दं० वि० की धारा 294, 323, 324, 34, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 05/07/15 को घटना का नक्शा मौका प्र० पी०-2 बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्त श्यामराव के विरुद्ध धारा 313 दं० प्र० सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

“आपने दिनांक 05/07/16 सुबह पौने सात बजे ग्राम लालावाड़ी फरियादी का खेत, थाना आमला जिला बैतूल म० प्र० के अंतर्गत आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण ने फरियादी जीवन धोटे को दांत से काटकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

—: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण

07— अभियोजन साक्षी जीवन (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय खेत पर था। तभी वहां गंगाधर एवं श्यामराव आये और बोले कि मादर चोद भोसड़ी के यहां से निकल गालियाँ सुनने में बुरी लगी, उसने गाली देने से मना किया तो गंगाधर ने उसे पकड़ लिया एवं श्यामराव ने पीठ पर काट दिया। शासन द्वारा पुनः परीक्षण करने पर आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि आरोपी ने उसे दांत से नहीं काटा था। शासन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी श्यामराव ने उसकी पीठ पर बाएं तरफ दांत से काट लिया

था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस बयान का ए से ए भाग का बयान लेख कराया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 03 में यह स्वीकार किया है कि जमीन की मेढ़ को लेकर उन लोगों के बीच लामा झुमी हो गई थी जिससे वह जमीन पर गिर गया था।

08— आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों से उसे चोट आ गई थी। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र०पी० 1 की रिपोर्ट लिखाते समय दांत से काटने वाली बात नहीं बताई थी यदि उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 1 एवं उसके पुलिस कथन में दांत से काटने वाली बात लिखी हो, तो इसका वह कोई कारण नहीं बता सकता। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त श्यामराव ने उसे दांत से नहीं काटा था। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०दं०वि० की धारा 324/34 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

09— अभियोजन साक्षी नरेश (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसका भाई जीवन खेत में था उसके साथ गंगाधर एवं श्यामराव ने मारपीट किये थे श्यामराव ने उसके भाई को पीठ पर काट दिया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि जो जमीन जीवन को दी थी उस जमीन को आरोपी कहता है हमारी है इसी बात का आरोपीगण से विवाद है इसके अलावा कोई विवाद नहीं है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि उक्त जमीन के अलावा आरोपीगण और उनके बीच में कोई विवाद नहीं है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके भाई जीवन को जमीन दी थी वह जमीन दे देते तो वह आरोपीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहते। इस प्रकार गवाह ने अपनी साक्ष्य में जमीन का विवाद बताया है। प्रकरण के चलते फरियादी ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

10— अभियोजन साक्षी उज्ज्वलाबाई (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसका भाई जीवन खेत में था उसके साथ गंगाधर एवं श्यामराव ने मारपीट किये थे श्यामराव ने उसके भाई को पीठ पर काट दिया था। इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में यह स्वीकार किया है कि जमीन उसके देवर को आरोपीगण दे देते तो वह कोई कार्यवाही नहीं करते। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में

स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में उसे जीवन ने बताया था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण जमीन दे देते तो कोई रिपोर्ट नहीं करते। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि फरियादी और आरोपीगण के मध्य जमीन का विवाद है। प्रकरण में फरियादी ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में आरोपी श्यामराव के द्वारा दांत से काटने वाली बात नहीं बताई है केवल जमीन का विवाद बताया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य ने घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण ने फरियादी जीवन धोटे को दांत से काटकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण ने फरियादी जीवन धोटे को दांत से काटकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्त श्यामराव को भा०द०वि० की धारा-324/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०